अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1479(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 743 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'परिवार शिक्षा सोसायटी, बोनोग्राम, बखराहत रोड, पोस्ट आफिस रासपुंजा, कोलकाता 700104, पश्चिम बंगाल' द्वारा 'संस्थान के परिचालन व्यय' की परियोजना को, 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 48.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'परिवार शिक्षा सोसायटी, बोनोग्राम, बखराहत रोड, पोस्ट आफिस रासपुंजा, कोलकाता 700104, पश्चिम बंगाल' द्वारा चलाई जा रही 'संस्थान के परिचालन व्यय' की परियोजना को, 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 48.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 133/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन.सी.)

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)